सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 07, सोमवार, *शाके 1946*-जुलाई 29, *2024* *Sravana 07, Monday, Saka 1946- July 29, 2024*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 27, 2024

संख्या एफ.15(6)पंरावि/विधि/पुनर्गठन/23/ईफाईल-06342/8734782:- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-10 एवं 101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक 448 दिनांक 28.8.2023 के द्वारा बांसवाडा जिले की पंचायत समिति घाटोल का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति गनोडा तथा पंचायत समिति कुशलगढ का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति छोटी सरवा का गठन किया गया है ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-95 एवं 101 के वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला बांसवाडा की पुनर्गठित पंचायत समिति घाटोल व नवसृजित पंचायत समिति गनोडा में विकास अधिकारी, पंचायत समिति घाटोल को तथा पुनर्गठित पंचायत समिति कुशलगढ व नवसृजित पंचायत समिति छोटी सरवा में विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुशलगढ, जिला बांसवाडा को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की जाती है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(6)पंरावि/विधि/पुनर्गठन/23/ईफाईल-06342/8734946 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-10 एवं 101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक 411 दिनांक 04.8.2023 के द्वारा बीकानेर जिले की पंचायत समिति कोलायत का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति हदां का गठन किया गया है ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-95 एवं 101 के वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला बीकानेर की पुनर्गठित पंचायत समिति

कोलायत व नवसृजित पंचायत समिति हदां में विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोलायत, जिला बीकानेर को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की जाती है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(6)पंरावि/विधि/पुनर्गठन/23/ईफाईल-06342/8734987 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-10 एवं 101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक 421 दिनांक 10.8.2023 के द्वारा दौसा जिले की पंचायत समिति महवा एवं बैजूपाडा का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति मण्डावर का गठन किया गया है ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-95 एवं 101 के वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला दौसा की पुनर्गठित पंचायत समिति महवा व नवसृजित पंचायत समिति मण्डावर में विकास अधिकारी, पंचायत समिति महवा को तथा पुनर्गठित पंचायत समिति बैजूपाडा में विकास अधिकारी, पंचायत समिति बैजूपाडा, जिला दौसा को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की जाती है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(6)पंरावि/विधि/पुनर्गठन/23/ईफाईल-06342/8735047 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-10 एवं 101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक 482 दिनांक 22.9.2023 के द्वारा डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति डूंगरपुर एवं बिछीवाडा का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति पालदेवल एवं गामडी अहाडा का गठन किया गया है ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-95 एवं 101 के वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला डूंगरपुर की पुनर्गठित पंचायत समिति डूंगरपुर व नवसृजित पंचायत समिति पालदेवल में विकास अधिकारी, पंचायत समिति डूंगरपुर को तथा पुनर्गठित पंचायत समिति बिछीवाडा व नवसृजित पंचायत समिति गामडी अहाडा में विकास अधिकारी, पंचायत समिति बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की जाती है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(6)पंरावि/विधि/पुनर्गठन/23/ईफाईल-06342/8735089 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-10 एवं 101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना क्रमांक 511 दिनांक 27.9.2023 के द्वारा उदयपुर जिले की पंचायत समिति मावली का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति खेमली तथा पंचायत समिति कोटडा का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति देवला का गठन किया गया है ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-95 एवं 101 के वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला उदयपुर की पुनर्गठित पंचायत समिति मावली व नवसृजित पंचायत समिति खेमली में विकास अधिकारी, पंचायत समिति मावली को तथा पुनर्गठित पंचायत समिति कोटडा व नवसृजित पंचायत समिति देवला में विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटडा, जिला उदयपुर को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । प्रशासक की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात पंचायत समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की जाती है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।